न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राम रतन सौंकरिया, RAS

अपील संख्या 03 / 2023

1 मनोज कुमार आयु 52 साल पुत्र रामेश्वरलाल जाति मीणा निवासी अजीतपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू (राज.)

अपीलांट

बनाम

1 राजेश कुमार आयु 32 साल पुत्र श्री विधाधर जाति जाट निवासी हिन्दुस्तान स्कुल के पास सेही कला तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)

रेस्पोडेंट

प्रथम नियमीत अपील अ.धा. 225 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 11.01.2022 बअदालत उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा बमुकदमा उनवानी राजेश कुमार बनाम मनोज कुमार अ.धा. 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधि. 1955 मु.नं. 06 / 2021

उपस्थिति :

1. श्री शब्बीर हुसैन खां, अधिवक्ता अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी

—निर्णय—

दिनांकः—24-1-24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 06/2021 में पारित निर्णय दिनांक 11.01.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायलय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट राजेश कुमार ने धारा 251 ए का आवेदन प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 44 रकबा 1.90 हैक्टेयर में से रास्ता चाहा। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर धारा 5 के आवेदन के साथ यह अपील प्रस्तुत की गई हैं।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि निर्णय की जानकारी अपीलान्ट मनोज कुमार को दिनांक 21.12.2022 से पहले कभी नहीं हुई। क्योंकि अपीलान्ट के पास न तो कभी उक्त मुकदमा के नोटिस आये, न ही नोटिस पत्रावली के मुताबिक कभी जारी हुए, न अपीलान्ट ने मुकदमे का कभी कोई जवाब पेश किया, न कभी कोई वकील किया। सारी कहानी रेस्पोडेन्ट राजेश कुमार के द्वारा फर्जी तैयार कर पेश की गई है। मनोज कुमार की तरफ से वकील भी राजेश कुमार के द्वारा ही किया गया है तथा जवाब भी राजेश कुमार के द्वारा ही तैयार किया गया है। अपीलान्ट मनोज कुमार ने न तो कोई जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया न कोई शपथपत्र पेश किया न कोई वकालतनामा किसी वकील को दिया। अपीलान्ट मनोज कुमार के जहां भी हस्ताक्षर बताये गये है वह फर्जी है। अपीलान्ट के उक्त पत्रावली में किसी भी पेपर और दस्तावेज पर कोई हस्ताक्षर नहीं है। समस्त हस्ताक्षर राजेश कुमार ने मनोज कुमार बनकर या तो स्वयं ने किये है या किसी अन्य से करवाये है। अपीलान्ट मनोज कुमार इस मुकदमें के बारे में दिनांक 06.07.2021 को या कभी भी अदालत मातहत में नहीं गया व न वकील

NDL

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

किया न जवाब व शपथपत्र पेश कया। दिनांक 21.12.2022 को रेस्पोडेन्ट के भाई हरीस ने अपीलान्ट को कहा कि हमने आप के खेत में से रास्ता कटवा लीया है। तब अपीलान्ट ने कहा कि आप मैरे खेत में से रास्ता मैरी मर्जी के बीना केसे कटवा सकते है। इस पर दिनांक 21.12.2022 को अपीलान्ट अदालत मातहत में जाकर नकल का आवेदन पत्र पेश किया व दिनांक 22.12. 2022 को सम्पूर्ण पत्रावली की नकल निकलवाई व दिनांक 23.12.2022 को झुन्झुनू जाकर वकील को दिखाई तब पता चला कि प्रार्थी के खेत में से धोखाधड़ी कर व प्रार्थी (अपीलान्ट) के फर्जी हस्ताक्षर बना कर बेईमानी पुर्ण व धोखाधड़ी करने के आशय से अपीलान्ट के साथ जालसाज कर अपीलान्ट के खेत में से बीना प्रतिफल के दिनांक 11.01.2022 को नाजायज रास्ता कटवा लिया है व निर्णय पारीत करवा लिया है। रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट के खीलाफ साजीस रचकर अपीलान्ट को नुकसान पहुचाने व धोखा देने की नियत से और स्वयं नाजायज फायदा उठाने की नियत से अपीलान्ट के फर्जी दस्तखत कर फर्जी व कुठरचित दस्तावेज तैयार कर लिये है। रेस्पोडेन्ट ने जो एक संगीन आपराधिक कृत्य किया है जिसके लिये अपीलान्ट अलग से रेस्पोडेन्ट व सम्बन्धित व्यक्तियों के खीलाफ फोजदारी मुकदमा भी दर्ज करवा रहा है। अधिनस्थ न्यायालय के आदेशिका के अनुसार मुकदमा दिनांक 29.06.2021 को पेश होना प्रकट होता है व अनावेदक की तलबी हेतु रजिस्ट्रर्ड समन्न तलबाना पेश होने हेतु दिनांक 05.07.2021 की पेशी दी जाती है। दिनांक 05.07.2021 को पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर होते है अदालत में उपस्थित नहीं होते है व दुसरे दिन दिनांक 06.07.2021 को अपीलान्ट मनोज कुमार बीना नोटीस बीना तलबी के स्वयं मय वकील आदेशीका के मुताबिक उपस्थित होकर जवाब व वकालतनामा पेश कर देता है। पत्रावली के मुताबिक ही अपीलान्ट के पास न तो उक्त मुकदमें के कभी कोई नोटीस आये न पत्रावली के मुताबिक कोई नोटिस तलबाना अपीलान्ट के नाम का पेश हुआ न कभी जारी हुआ। न कोई नोटीस या सम्मन अपीलान्ट के नाम का तामील सुदा व अदम तामील पत्रावली ने संलग्न है। अपीलान्ट ने योग्य अदालत मातहत में न तो कोई

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

जवाब मय शपथपत्र पेश किया न कोई वकील किया न वकालतनामें पर हस्ताक्षर किये न कोई जवाब व शपथपत्र पर हस्ताक्षर किये न किसी आदेशिका पर हस्ताक्षर किये न कोई मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किये न प्रार्थी के सामने कोई मौका रिपोर्ट तैयार की गई न ही प्रार्थी (अपीलान्ट) के खेत पर दिनांक 05.08.2021 को या कभी भी तहसीलदार चिड़ावा या पटवारी मौके पर गया। भुमी खसरा नम्बर 44 रकबा 1.90 हैक्टेयर के खातेदार अपीलान्ट व उसके भाई कंवर सिंह, राजेश कुमार तथा बहन सावित्री सह खातेदार है। उक्त भूमि का बंटवारा नहीं किया हुआ है। सामलाती भूमि है। इस भूमि में अपीलान्ट व उसके भाईयों व बहन ने सभी सह खातेदारान ने गेहु की फसल कास्त कर रखी है। मात्र अपीलान्ट मनोज कुमार पर उक्त मुकदमा पर निर्णय पारीत करवा लिया जो कानुन के खिलाफ है। कोटिनेन्सी की लैण्ड का मुकदमा मात्र 1 कोटिनेन्ट को पक्षकार बनाकर निर्णय पारीत नहीं किया जा सकता है। अपीलान्ट के दक्षिण में व रेस्पोडेन्ट के पश्चिम में खेत खसरा नम्बर 75 संदीप पुत्र शुभकरण जाति जाट निवासी अजीतपुरा का है। जिसमें संदीप पुर्वी दक्षिणी सीमा में रेस्पोडेन्ट से सटकर मकान बना कर आबाद है। संदीप की गुवाड़ी में आने का गाड़ी मोटर का रास्ता रेस्पोडेन्ट की पश्चिमी सीमा तक मुख्य रास्ते से पड़ा हुआ है। जो रेस्पोडेन्ट के एक दम सटकर है। इस कारण रेस्पोडेन्ट को अन्य रास्ते की आवश्यकता ही नही है। जब मुख्य रास्ते से संदीप के खेत में रास्ता आता है और रेस्पोडेन्ट के खेत के रास्ता लगता है तो अपीलान्ट के खेत के अन्दर से नया रास्ता लेने की आवश्यकता ही नही है तथा न ही कानुनन नया रास्ता दिलवाया जा सकता है। इसलिए भी रेस्पोडेन्ट के दो दो वैकल्पिक रास्ते सटकर लगते है तब नये रास्ते की रेस्पोडेन्ट को कोई आवश्यकता भी नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अपील स्वीकार की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक के प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट राजेश कुमार ने खसरा नम्बर 44 रकबा 1.90 हैक्टेयर भूमि में रास्ते हेतु धारा 251 ए के अन्तर्गत अपीलांट मनोज कुमार के विरूद्ध आवेदन प्रस्तुत किया है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी खसरा नम्बर 44 संवत् 2074 से 2077 में इस भूमि की खातेदारी कंवर सिंह, मनोज कुमार, राजेश कुमार, सावित्री के नाम बराबर बराबर 1/4, 1/4 हिस्से में दर्ज है। स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा खसरा नम्बर 44 में चाहे गये रास्ते की भूमि सहखातेदारी में दर्ज है। आवेदक द्वारा सभी सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में आदेशिका के अवलोकन से जाहिर होता है कि विचारण न्यायालय में आवेदन दिनांक 29.06.2021 को दर्ज किया जाकर दिनांक 05.07.2021 की तिथि नियत की गई। दिनांक 05.07.2021 को आगामी तिथि 06.07.2021 नियत की गई है। दिनांक 06.07.2021 की आदेशिका में अपीलांट मनोज कुमार की जरिये वकालतन उपस्थिति अंकित है किन्तु विचारण न्यायालय की पत्रावली में अपीलांट मनोज कुमार के नाम जारी नोटिस, तामीलशुदा नोटिस संलग्न नहीं है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में आवेदक राजेश द्वारा प्रस्तुत मनोज के अधुरे नोटिस दो प्रति में संलग्न है जो विचारण न्यायालय द्वारा जारी ही नहीं किये गये है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय में आवेदक द्वारा भूमि अधिकारी तहसीलदार को पक्षकार भी नहीं बनाया गया है एवं विचारण न्यायालय में अपने आवेदन के संलग्न नजरी नक्शें में खसरा नम्बर 74 जिसका आवेदक स्वयं खातेदार है को मुख्य सड़क पर दिखा रखा है। विचारण न्यायालय ने इस बिन्दु पर भी कोई गौर एवं विवेचन नहीं किया है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24-1-24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सौंकरिया)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर